न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/97 **दायरा दिनांक : 16.05.2025**

उनवान

1. कालूलाल पिता दुधा, जाति नाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. रमेश चन्द
   1/2. मोहनलाल पिसरान कालूलाल, जाति नाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
   1/3. गीताबाई पुत्री कालूलाल, जाति नाई पत्नी कैलाश, निवासी सलावद, तहसील बकानी, जिला झालावाड राज.
   1/4. मुकन बाई पत्नी कालूलाल, जाति नाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
2. बसन्ती बाई पत्नी स्वर्गीय श्री पूरीलाल, जाति नाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
3. भगवान सिंह पुत्र पूरीलाल, जाति नाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
4. मांगीबाई पुत्री पूरीलाल पत्नी सुरेश, जाति नाई, निवासी लुहार मोहल्ला अस्पताल के पास सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड राज.
5. रामचन्द्र पिता मोतीलाल, जाति नाई, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
6. राकेश पिता मोतीलाल, जाति नाई, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
7. नर्मदीबाई पत्नी प्रहलाद, जाति नाई, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
8. बबलू पिता प्रहलाद, जाति नाई, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
9. अनिल पिता प्रहलाद, जाति नाई, निवासी समराई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.

.... अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र पूरीलाल, जाति बलाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
2. राधेश्याम पिता गोपाल, जाति बलाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
3. जडाव बाई पत्नी स्वर्गीय गोपाल, जाति बलाई, निवासी श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
4. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा झालरापाटन, जिला झालावाड राज.
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मंगलपुरा, झालावाड राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड राज.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री शैलेन्द जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 व श्री सतीश चन्द गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.04.2025**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 469/प्रार्थना पत्र/2021 निर्णय दिनांक 15.05.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम श्यामपुरा, पटवार हल्का मांडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में खाता संख्या नया 60 पुराना 46 के अनुसार आराजी खसरा नं. 124 रकबा 0.4046 हैक्टर, खसरा नं. 15 रकबा 0.7587 हैक्टर, खसरा नं. 16 रकबा 0.0506 हैक्टर, खसरा नं. 19 रकबा 0.8219 हैक्टर, खसरा नं. 20 रकबा 0.0506 हैक्टर, खसरा नं. 431 रकबा 0.1644 हैक्टर, खसरा नं. 432 रकबा 0.1770 हैक्टर, खसरा नं. 433 रकबा 0.3035 हैक्टर, खसरा नं. 47 रकबा 0.5690 हैक्टर, खसरा नं. 48 रकबा 0.0126 हैक्टर, खसरा नं. 50 रकबा 0.9231 हैक्टर, खसरा नं. 636 रकबा 0.5437 हैक्टर, खसरा नं. 664 रकबा 0.8852 हैक्टर, खसरा नं. 665 रकबा 0.2529 हैक्टर, खसरा नं. 668 रकबा 0.5058 हैक्टर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 ग्राम श्यामपुरा, पटवार हल्का मांडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कनवाडा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में खाता संख्या नया 15 पुराना 10 के अनुसार आराजी खसरा नं. 121 रकबा 0.1012 हैक्टर, खसरा नं. 122 रकबा 0.6323 हैक्टर, खसरा नं. 123 रकबा 0.0253 हैक्टर, खसरा नं. 130 रकबा 0.0126 हैक्टर, खसरा नं. 131 रकबा 0.0885 हैक्टर, खसरा नं. 132 रकबा 0.3920 हैक्टर, खसरा नं. 411 रकबा 0.2529 हैक्टर अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपूर्ण व निराधार व पत्रावली का अवलोकन किये बगैर दिये जाने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों का अवलोकन किये बगैर अपना मनमाना निर्णय पारित किया गया है, जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट्स अप्रार्थीगणों के द्वारा दिये गये जवाब का अवलोकन किये बगैर अपना मनमाना निर्णय पारित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कर प्रार्थीगणों को अपीलान्ट्स के खसरा क्रमांक 122 व 123 की भूमि में से होकर रास्ता कायम कर दिया गया है, जो कि विधि सम्मत नहीं है, रेस्पो० के पास अन्य जगह से होकर रास्ता कायम है जिस पर से होकर वह वर्षो से निकल रहे हैं, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सिर्फ तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपना मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य को लिये बगैर अपना मनमाना निर्णय सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, जिसमें कि विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों का अभाव है। इस कारण अधीनस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है कि खसरा क्रमांक 122 व 123 की आराजी जो कि अपीलान्ट्स की आराजी है पर पूर्व से कोई रास्ता कायम नहीं है तथा प्रार्थीगणों के पास अपने खाते खसरा क्रमांक 124 पर आने जाने तथा अपने मवेशी तथा टैक्टर व अन्य सामान लाने ले जाने के लिये अलग रास्ता सरांवा के काकड पर से होकर व एक अन्य रास्ता बावडीखेडा से होकर पूर्व से ही कायम है तथा उक्त रास्तों बाबत श्रीमान तहसीलदार के द्वारा अपनी रिपोर्ट में एक शब्द नहीं लिखा है, तथा अपनी मनमानी पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना विधि की पालना किये अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थीगणो के द्वारा जो बिन्दु अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे उठाये गये थे, उनका विश्लेषण किय बगैर अपना मनमाना निर्णय पारित किया गया है, एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य लिये बगैर एवं कानून की पालना किये बगैर अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी, अपीलान्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया है, मगर फिर भी ऐसा निर्णय पारित कर मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक उपचारो पर गौर किये बगैर तथा बगैर साक्ष्य का अवसर दिये मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र जिन धाराओ में प्रस्तुत किया गया था, उन बिन्दुओं को साक्ष्य के एवं कानून के द्वारा ही तय किये जा सकते थे। मगर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगणो की साक्ष्य लिये बगैर तथा अपीलान्ट्स को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं उचित अवसर दिये बगैर तथा फोरी तौर जवाब का अवलोकन कर मनमाना निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार माननीय न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 3 बालीबाई भी थी जिनका कि स्वर्गवास दौराने प्रार्थना पत्र हो चुका है, तथा जिनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस क्रम 6 व 7 बालीबाई के पुत्र है तथा बालीबाई का एक अन्य पुत्र प्रहलाद भी फोत हो चुका है। अपीलान्ट्स क्रम 8 प्रहलाद की पत्नि है, तथा अपीलान्ट्स क्रम 9 व 10

(दीप्ति [illegible] मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उनके पुत्र है जिनकी और से भी अपील पेश कि जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृत व्यक्ति के खिलाफ अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि विधिक त्रुटि है तथा रेस्पो० के मृत व्यक्ति के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिया जाना चाहिये था जो कि नहीं लिया गया है इस आधार पर विधिक आधारो की पालना किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.05.2024 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कि जावे।

4. अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.03.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
5. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।
6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि वादीगण रेस्पो० के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था कि ग्राम श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज० की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या नया 60, पुराना 46 के अनुसार कुल किता 14 रकबा 6.4236 हैक्टेयर आराजीयात प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान के खातेदारी में दर्ज है, तथा ग्राम श्यामपुरा की जमाबन्दी 2974–77 की खाता संख्या नया 15 पुराना 10 किता 07 कुल रकबा 1.5048 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीगणो की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा कमांक 124 रकबा 00.4046 हैक्टेयर पर कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने का रास्ता खसरा नं० 122 व 123 की उत्तर दिशा के मेढ पर से होता हुआ पश्चिम से पूर्व की और 10 फीट चौडा रास्ता से होकर प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा कमांक 124 पर आते जाते है, लेकिन रास्ता रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण अवरोध पैदा करते हैं, जिससे विवाद की सम्भावना बनी हुई है, एवं प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने में परेशानी होती है। अतः खाते की आराजी पर कृषि उपकरण ट्रैक्टर ट्रोली आदि लाने ने जाने तथा प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के आने जाने के लिये 10 फीट चौडा रास्ता खसरा कमांक 122 व 123 से डी.एल.सी. दर से जमा करवाया जाकर स्वीकृत किया जाना अवश्यक है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स की और से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार कर आधारहीन होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की एवं तहसीलदार से जवाब रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगणो की आराजी जवाब रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्राथीगणो की आराजी खसरा नम्बर 124 पर पहुंचने के लिये अप्रार्थीगण 1/1 लगायत 5 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 122 व 123 की उत्तरी मेड के सहारे

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सहारे 10 फीट चौडा रास्ता गुण लम्बाई मे रास्ते की भूमि का माप कर डी.एल.सी. दर से दो गुणा राशि अप्रार्थीगण अपीलान्ट्स के खाते हिस्सेनुसार अनके खाते में जमा कराने के पश्चात रास्ते की भूमि का नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत आदेश दिये गये। इस कारण उपरोक्त से असन्तुष्ट होकर अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कि गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपूर्ण व निराधार व पत्रावली का अवलोकन किये बगैर दिये जाने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों का अवलोकन किये बगैर अपना मनमाना निर्णय पारित किया गया है, जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट्स अप्रार्थीगणो के द्वारा दिये गये जवाब का अवलोकन किये बगैर अपना मनमना निर्णय पारित कर प्रार्थीगणों को अपीलान्ट्स के खसरा क्रमांक 122 व 123 की भूमि में से होकर रास्ता कायम कर दिया गया है, जो कि विधि सम्मत नहीं है, रेस्पो० के पास अन्य जगह से होकर रास्ता कायम है जिस पर से होकर वह वर्षों से निकल रहे हैं, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सिर्फ तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपना मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य को लिये बगैर अपना मनमाना निर्णय सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, जिसमें कि विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों का अभाव है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है कि खसरा क्रमांक 122 व 123 की आराजी जो कि अपीलान्ट्स की आराजी है पर पूर्व से कोई रास्ता कायम नहीं है, तथा प्रार्थीगणों के पास अपने खाते खसरा क्रमांक 124 पर आने जाने तथा अपने मवेशी तथा ट्रैक्टर व अन्य सामान लाने ले जाने के लिये अलग रास्ता सरांवा के कांकड पर से होकर व एक अन्य रास्ता बावडीखेडा से होकर पूर्व से ही कायम है तथा उक्त रास्तों बाबत श्रीमान तहसीलदार के द्वारा अपनी रिपोर्ट में एक शब्द नहीं लिखा है तथा अपनी मनमानी पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना विधि की पालना किये अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट अप्रार्थीगणों के द्वारा जो बिन्दु अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये थे, उनका विश्लेषण किये बगैर अपना मनमाना निर्णय पारित किया गया है, एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य लिये बगैर एवं कानून की पालना किये बगैर अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी, अपीलान्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया है, मगर फिर भी ऐसा निर्णय पारित कर मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि के विरुद्ध होने से अपास्त होने काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक उपचारो पर गौर किये बगैर तथा बगैर साक्ष्य का अवसर दिये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र जिन धाराओं में प्रस्तुत किया गया था, उन बिन्दुओं को साक्ष्य के एवं कानून के द्वारा ही तय किये जा सकते थे। मगर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगणों की साक्ष्य लिये बगैर तथा अपीलान्ट्स को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं उचित अवसर दिये बगैर तथा फोरी तौर जवाब का अवलोकन कर मनमाना निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी कम 3 बालीबाई भी थी जिनका कि स्वर्गवास दौराने प्रार्थना पत्र हो चुका है, तथा जिनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स कम 6 व 7 बालीबाई के पुत्र है, तथा बालीबाई का एक अन्य पुत्र प्रहलाद भी फोत हो चुका है। अपीलान्ट्स कम 8 प्रहलाद की पत्नि है, तथा अपीलान्ट्स कम 9 व 10 उनके पुत्र है, जिनकी और से भी अपील पेश कि जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मृत व्यक्ति के खिलाफ अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि विधिक त्रुटि है तथा रेस्पो० के मृत व्यक्ति के कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिया जाना चाहिये था जो कि नहीं लिया गया है इस आधार पर विधिक आधारों की पालना किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बगैर व बिना सूचना दिये दिनांक 15.05.2024 को अपना निर्णय पारित किर दिया गया जिसका ज्ञान अपीलान्ट्स को सर्वप्रथम दिनांक 11.03.2025 को हुआ जिस पर दिनांक 11.03.2025 को ही अपीलान्ट्स के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 11.03.2025 को ही नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा माननीय नकल शाखा के द्वारा दिनांक 17.03.2025 को नकल तैयार कर प्रार्थी के अधिवक्ता को प्रदान की, जिस पर रुपयो का इन्तजाम कर तथा अपील तैयार कर श्रीमान के श्रवणाधिकार में होने से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। निर्णय की जानकारी होने व नकल मिलने की तारीख से अपील अवधि मध्य पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से मय शपथ पत्र पेश है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.05.2024 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जावे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ता 3 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने 251 (क) का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया है, जो सही है। अपीलांट ने अपील में यह नही बताया कि वैकल्पिक रास्ता कौनसा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जाये। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क पर जो निर्णय पारित किया है वो सही निर्णय है। अपीलांट ने जो आब्जेक्शन अपील में उठाये हैं वह कानूनन गलत है। तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

9. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि जमांबदी संवत 2074 से 2077 ग्राम श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में खाता संख्या नया 60 पुराना 46 के अनुसार कुल किता खसरे 15 कुल रकबा 6.4236 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदार के खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2074 से 2077 ग्राम श्यामपुरा, तहसील झालरापाटन में खाता संख्या 15 पुराना 10 के अनुसार कुल किता 7 कुल रकबा 1.8900 हेक्टर आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 124 रकबा 0.4046 हेक्टर पर कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने तथा प्रार्थीगण के आने जाने का रास्ता खसरा नं. 122 व 123 की उत्तर दिशा की मेड पर होता हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर 10 फीट चौडे रास्ते से होकर प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 124 रकबा 0.4046 हेक्टर पर जाता है। राजस्व रेकार्ड में उक्त वर्णित रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण परेशानी आती है अप्रार्थीगण नम्बर 1/1 लगायत 5 उक्त रास्ते से निकलने में अवरोध पैदा करते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नं. 124 रकबा 0.4046 हेक्टर पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण कम 1/1 लगायत 5 के खाते की आराजी खसरा नं. 122 व 123 में से 10 फीट चौडा रास्ते में आने वाली आराजी का मुआवजा डी.एल. सी. दर से जमा करवाया जाकर रास्ता दिलाये जाने की कृपा करे।

12. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार झालावाड के पत्रांक 73 दिनांक 19.01.2024 से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 124 पर पहुंचन हेतु मौके पर खसरा नं. 122 व खसरा नं. 123 में से रास्ता दिया जाता है तो खसरा नं. 122 रकबा 0.6323 में से 0.0268 हेक्टर व खसरा नं. 123 रकबा 0.0253 हेक्टर में से 0.0153 हेक्टर कुल 0.0421 हेक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में आएगी। उक्त रास्ते के अलावा खसरा नं. 124 में पहुंचने हेतु एक अन्य रास्ता खसरा नं. 120 में से प्रस्तावित किया गया है जिससे भी प्रार्थीगणों की भूमि पर पहुंचा जा सकता है, जिसमें खसरा नं. 120 रकबा 0.6196 हैक्टर में से 0.433 हेक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में आएगी। दोनों प्रस्तावित किये गये रास्तों में से प्रार्थीगणों की आराजी खसरा नं. 124 पर पहुंचने हेतु निकटतक रास्ता खसरा नं. 122 व 123 की उत्तरी मेड के सहारे होगा जहा से प्रार्थीगण रास्ता चाह रहे है तथा पूर्व में प्रार्थीगण यही से अपनी आराजी पर आते जाते थे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

13. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 15.05.2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी तक पंहुच हेतु अप्रार्थी कम 1/1 लगायत 5 के खाते की आराजी खसरा नं. 122, 126 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे 10 फीट चौडा गुणा लम्बाई में रास्ते की भूमि का मापकर डी.एल.सी. दर से दो गुणा राशि अप्रार्थीगण के हिस्सेनुसार उनके खाते में कराने के पश्चात रास्ते की भूमि का नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का निर्णय पारित किया, इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गयी।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार तहसीलदार झालरापाटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2024 से मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, झालावाड को प्रेषित की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता/अनुपलब्धता तथा रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता जैसे दोनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। तहसीलदार के पत्र दिनांक 19.01.2024 के साथ सलंग्न पटवारी एवं आई.एल.आर. की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2024 पर प्रार्थी देवीलाल के हस्ताक्षर एवं प्रार्थिया जडाव बाई की अंगूठा निशानी अंकित है परन्तु अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, उससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता कायम करने से पूर्व वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता होने एवं रास्ते की आवश्यकता जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर अत्यांतिक आवश्यकता होनी चाहिए परन्तु मौका रिपोर्ट में इन दोनों बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने एवं मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज होने योग्य है।

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार झालावाड से उभयपक्ष की उपस्थिति में पैरा सं. 14 में किये गये विवेचन के कम में पुनः विधि सम्मत मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.06.2026 को उपस्थित होवे।

16. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/04/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा